पत्रांकः 1/ब०–02–10/21 ....89..../आ०

झारखण्ड सरकार
**पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग**
(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)
फोन: 0651–2400981, फैक्स:0651–2400982, ई–मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

**अमिताभ कौशल,**
सरकार के सचिव।

सेवा में,

**उपायुक्त,**
हजारीबाग/गिरिडीह/गोड्डा/देवघर/पश्चिमी सिंहभूम/
गुमला/सिमडेगा/लोहरदगा/राँची/खूँटी/लातेहार/
सरायकेला–खरसावाँ/दुमका एवं साहेबगंज।

राँची, दिनांकः 15.02.2022

विषयः– **जिला स्तर पर विभाग द्वारा संचालित आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों के मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु रू० 370.00 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख) मात्र निधि का आवंटन।**

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०– 46/रा०, दिनांक– 07.12.2021

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में स्थानीय खेल प्रतिभा के विकास हेतु आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। जिला स्तर पर समुचित व्यवस्था एवं संसाधन के अभाव में इन आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों का समुचित रख–रखाव नहीं हो पाता है, अतः इनके नियमित मरम्मति एवं रख–रखाव के निमित्त वित्तीय वर्ष 2021–22 के योजना बजट अंतर्गत स्तम्भ–3 में अंकित राशि रू० 370.00 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख) मात्र अनाबद्ध निधि आवंटित की जाती हैः–

| *क्र०* | *जिला* | *आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द में मरम्मति कार्य हेतु राशि* | *विकलनीय शीर्ष* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1* | हजारीबाग | 1500000.00 | मुख्य शीर्ष – 2204 – खेलकूद तथा युवा सेवाएँ– लघु शीर्ष – 104 – खेलकूद – उप शीर्ष – 53 – खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का मरम्मति एवं रख–रखाव – विस्तृत शीर्ष – 05 – निर्माण– प्राथमिक इकाई 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोडः– 52S22040010453000543 |
| *2* | गिरिडीह | 1500000.00 | |
| *3* | गोड्डा | 1500000.00 | |
| *4* | देवघर | 1500000.00 | |
| *5* | पश्चिमी सिंहभूम | 4000000.00 | |
| *6* | गुमला | 6000000.00 | मुख्य शीर्ष – 2204 – खेलकूद तथा युवा सेवाएँ– लघु शीर्ष – 796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – उप शीर्ष – 53 – खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का मरम्मति एवं रख–रखाव – विस्तृत शीर्ष – 05 – निर्माण– प्राथमिक इकाई 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोडः– 52S22040079653000543 |
| *7* | सिमडेगा | 3000000.00 | |
| *8* | लोहरदगा | 1500000.00 | |
| *9* | राँची | 1500000.00 | |
| *10* | खूँटी | 1500000.00 | |
| *11* | लातेहार | 4500000.00 | |
| *12* | सरायकेला–खरसावाँ | 4500000.00 | |
| *13* | दुमका | 3000000.00 | |
| *14* | साहेबगंज | 1500000.00 | |
| कुल | | **3,70,00,000/-** | (तीन करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र। |

3. व्यय का विकलन उपर्युक्त विवरणी के स्तम्भ–4 में दिये गये मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष से किया जायगा।

राशि का व्यय मरम्मति हेतु मुख्य रूप से निम्न निर्देशात्मक अवयवों से किया जायेगाः–

| क्र० | मद | विवरणी |
|---|---|---|
| i) | दरवाजा एवं खिड़की मरम्मति | मरम्मति यथा – कुण्डी, स्टॉप कॉर्क, हैण्डल, लॉक तथा दरार आदि मरम्मति। |
| ii) | रंग–रोगन | क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के भीतर एवं बाहरी दिवारों का रंग–रोगन। |
| iii) | स्नानागार मरम्मति | नल, झरना, पैन, बेसिन, फ्लोर एवं दिवार टाईल्स, गीजर आदि की मरम्मति एवं व्यवस्था। |
| iv) | किचन मरम्मति | नल, सिंक, सिंक पाईप, सेल्फ, आर०ओ० वॉटर प्यूरीफायर आदि की मरम्मति एवं व्यवस्था। |
| v) | फर्श एवं छत मरम्मति | प्लास्टिरिंग एवं आधारभूत मरम्मति। |
| vi) | बिजली उपकरण व्यवस्था एवं मरम्मति | स्वीच बोर्ड, वायर, बल्ब, पंखे, पानी मोटर (समरसेवल) तथा अन्य आधारभूत बिजली उपकरण आदि की मरम्मति एवं व्यवस्था। साथ ही आवश्यक एक्सटेंशन की व्यवस्था भी। |

5. विभागीय अधिसूचना सं०–59, दिनांक– 09.05.17 जिला स्तर पर आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु एक समिति गठित है (छायाप्रति संलग्न), जिससे विषयाधीन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रवार पारित कराया जायेगा जिस पर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 301, दिनांक– 11.03.15 के आलोक में संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में मरम्मति एवं देख–रेख की वास्तव में आवश्यकता है। साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का व्यय से कार्य का दोहरीकरण न हो तथा पूर्व में अन्य मद से स्वीकृत किसी भी कार्य हेतु इस मद से राशि का व्यय नहीं किया जाय।
7. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त होंगे जो इस योजना का कार्यान्वयन निविदा/कोटेशन/GeM के माध्यम से कराते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र (व्यय विवरणी सहित) अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध करायेंगे।
8. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषगार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
10. इस पर माननीय विभागीय मंत्री से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है।
11. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15/2/2022

**सरकार के सचिव**

**राँची, दिनांकः** 15.02.2022

**ज्ञापांक** :– 89/आ.

**प्रतिलिपिः**– निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आ०वि०स०/संबंधित जिला के जिला खेल पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार/महालेखाकार, झारखण्ड, पो०–डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/2022

**(अमिताभ कौशल)**
**सरकार के सचिव**



160

D:\Brajesh 21-22\Allotment (P)\Apirl-21-A.doc